

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : मुसप्र/2022/813


दिनांक : 21/1/23

कार्यालय आदेश

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा नोटीफिकेशन क्रमांक F-17(22)UDH/Rules/2020 Jaipur dated 04-01-2021 के बिन्दु संख्या-8 में आवासीय भूखण्डों के आवंटन के सम्बन्ध में आरक्षण का नया प्रावधान किया गया। मण्डल के सम्पत्ति निस्तारण विनियम-1970 के नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संचालक मण्डल द्वारा 248 वीं बैठक के बिन्दु संख्या 248.57 के तहत लिये गये निर्णयानुसार, विभिन्न संवर्गों के आवेदकों को आवास आवंटन में आरक्षण का प्रावधान, एतद्विषयक पूर्व में जारी सभी आदेशों के अधिक्रमण में, निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र. सं.	वर्ग	आरक्षण का विवरण	प्रश्नगत अधिसूचना की पालना में समायोजित			कुल योग %
			सामान्य (%)	(G-9) दिव्यांग 5%	निराश्रित एवं भूमिहीन(G-11) एकल महिला 10%	
1	G-1	(i) (अ) राज्य कर्मचारी/बोर्ड/निगम/प्राइवेट सेक्टर के कार्यरत कर्मचारी (ब) सरकारी कर्मचारी की विधवायें (कर्मचारी की मृत्यु से) 10 वर्ष तक (स) केन्द्र सरकार के कर्मचारी	8.50	0.50	1.00	10.00
		(ii) (अ) वर्तमान/भूतपूर्व सैनिक/सीमा सुरक्षाबल/केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षाबल/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के रक्षाकर्मी (ब) सैनिक विधवायें/बीरांगनायें (स्थल सेना को प्राथमिकता)	8.50	0.50	1.00	10.00
2	G-2	(i) सामान्य श्रेणी	33.58	1.98	3.95	39.50
		(ii) प्रोफेशनल श्रेणी (केवल एडवोकेट, चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट एवं प्राइवेट डॉक्टर)	4.25	0.25	0.50	5.00
3	G-3	मण्डल कर्मचारी	0.85	0.05	0.10	1.00
4	G-4	अनुसूचित जाति	13.60	0.80	1.60	16.00
5	G-5	अनुसूचित जनजाति	10.20	0.60	1.20	12.00
6	G-6	वर्तमान/भूतपूर्व विधायक/सांसद	0.85	0.05	0.10	1.00
7	G-7	स्वतन्त्रता सैनानी	0.43	0.03	0.05	0.50
8	G-8	अधिस्वीकृत पत्रकार	1.70	0.10	0.20	2.00
9	G-10	वीरता प्राप्त सैनिक एवं एशियाड/ऑलम्पिक पद प्राप्त खिलाडी	0.85	0.05	0.10	1.00
10	G-12	परलैंगिक (Transgender) व्यक्ति	1.70	0.10	0.20	2.00


D/DRB/OFFICE ORDER



नोट -


- (1) मृतक सरकारी कर्मचारी की विधवा को वैतनिक वर्ग में आवास प्राप्ति हेतु कर्मचारी की मृत्यु के समय आय 6.00 लाख से अधिक न हो तथा निराश्रित एवं भूमिहीन एकल महिला के मामले में आय 0.80 लाख प्रतिवर्ष से अधिक न हो।
- (2) आरक्षित वर्गों के पर्याप्त आवेदक न होने पर शेष रहे आवासों को जी-2 वर्ग में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।


(पवन अरोड़ा)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक(विधि) राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता-मुख्यालय/प्रथम/द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा0 आ0 मा0, जयपुर/जोधपुर।
41. उप आवासन आयुक्त, मुख्यालय, रा0आ0म0, जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-....., रा0आ0म0, (समस्त)
6. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-....., रा0आ0म0,
7. अति0 निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0 जयपुर।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवाये व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
8. प्रभारी अधिकारी, नागरिक सेवा केन्द्र, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।


मुख्य सम्पदा प्रबन्धक